न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी, श्री दूदाराम हुड्डा आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या – 134/2023
जीसीएमएस सं. – 2023/214

प्रार्थीया :–
सतकि पत्नि शंकरलाल जाति विश्नोई निवासी ग्राम रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. छोगाराम पुत्र गोरधनराम
2. ओमाराम पुत्र धोकलराम
3. मल्लाराम पुत्र धोकलराम
4. भीयाराम पुत्र धोकलराम
5. शिवराम पुत्र धोकलराम
जातियान विश्नोई निवासीगण रामड़ावास कलां तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
6. भूमिधारी तहसीलदार पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

दर्ज दिनांक :– 28.06.2023

उपस्थित अधिवक्ता
श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थीया की ओर से
श्री कमरू खां सिन्धी अप्रार्थी सं. 1 की ओर से
अप्रार्थी तहसीलदार स्वयं

निर्णय

दिनांक : 08.08.2024

प्रार्थीया ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम रामडावास कलां पटवार क्षेत्र रामडावास कलां तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में कृषि भूमि खसरा संख्या 992/357 रकबा 0.6183 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या नया 668 व पुराना 114 पर इन्द्राजसुदा है। प्रार्थीया अपने खेत खसरा संख्या 992/357 में कटाणी रास्ता खसरा संख्या 359/1 से होते हुए अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 के खेत खसरा संख्या 358 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे अप्रार्थी संख्या 01 के खसरा संख्या 993/357 की दक्षिणी माठ से होकर अपने खेत में पहुंचता है तथा इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीया अपने खेत खसरा संख्या 992/357 में आवागमन के लिए व चारा, पूला, बलिता लाने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 358 व 993/357 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 20 फीट चौडे रास्ते को अपने उपयोग में लेता है तथा उक्त रास्ता आगे जाकर खसरा संख्या 359/1 गेर मुमकिन रास्ता को स्पर्श करता है तथा इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता प्रार्थीया के खेत में जाने के लिए नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहे गए रास्ते को नजरी नक्शे में मार्क

8/8
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

एबीसीडीईएफ से दर्शित किया गया है तथा नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग है। प्रार्थीया ने उक्त रास्ता जिसकी मांग प्रार्थना पत्र में की है उस रास्ता हेतु सरकार के खाते में समर्पण करने के लिए अप्रार्थीगण से दिनांक 11.06.2023 को निवेदन किया तथा नियमानुसार मुआवजा राशि भी अप्रार्थीगण को देने के लिए प्रार्थीया उनके पास गई लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त एकमात्र वैकल्पिक रास्ता देने से प्रार्थीया को इन्कार कर दिया तथा एलानिया रूप से कहां की यह रास्ता नहीं देंगे तथा उक्त एक मात्र रास्ते पर कांटे डाल दिए व बंद कर दिया जिस पर प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या स06 को दिनांक 20.06.2023 को लिखित में अवगत करवाया फिर भी रास्ता अप्रार्थीगण ने नहीं दिया इसलिए प्रार्थीया के पास अपने खेत खसरा संख्या 992/357 में आने जाने के लिए एक मात्र वैकल्पिक सीधा, सुगम व नजदीकी रास्ता जिसकी मांग इस प्रार्थना पत्र में की गई है जिसके लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को संलग्न नजरी नक्शे अनुसार स्वीकार फरमाया जावे व अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 992/357 व 358 में से चाहे गए रास्ते मार्क एबीसीडीईएफ को रास्ता घोषित किया जावे व अप्रार्थी संख्या 06 को आदेशित किया जावे कि घोषित किये गए रास्ते को राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर रास्ते की पुख्ता तरमीम करे व मौके पर रास्ते को आवागन हेतु खुला करावे। अन्य उचित आदेश जो हित प्रार्थीया हो अता फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से वकील कमरू खां मेहर ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थी सं. 2 से 5 के नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए कोई उपस्थित नही, जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं. 1 को प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर आपति नही । इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 प्रस्तुत की हैं ग्राम रामड़ावास कलां के खसरा नम्बर 992/357 में पहुँच हेतु रास्ता खसरा नम्बर 358 व 393/357 की दक्षिणी माठ के सहारे 13 फीट चौड़े रास्ते को वैकल्पिक रास्ता एवं प्रस्तावित रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शाया हैं। प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शे अनुसार हैं। उक्त प्रस्तावित भूमि (रास्ते) की चौड़ाई 13 फीट प्रस्तावित हैं। उक्त रास्ता खसरा नम्बर 358 व 992/357 में से प्रस्तावित है । ग्राम रामड़ावास कलां की डीएलसी दर असिचित भूमि की 97077 रूपये प्रति हेक्टयर हैं। प्रस्तावित भूमि की दर राशि निम्नानुसार हैं। खसरा नम्बर 358 में से रास्ते की भूमि 0.0181 हैक्टयर है जिसकी मालियत की गणना अनुसार राशि 1757/- रूपये बनती हैं। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 3514/- रूपये बनती हैं तथा खसरा नम्बर

8/8

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

992/357 में से रास्ते की भूमि 0.0229 हैक्टयर हैं जिसकी मालियत की गणना अनुसार राशि 2269/– रूपये बनती हैं। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 4538/– रूपये बनती हैं।

हमने बहस वकुलाय सुनी जाकर, पत्रावली का अवलोकन एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 20.06.2024 अनुसार राजस्व ग्राम रामड़ावास कलां के खसरा नम्बर 992/357 में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 358 व 993/357 में से मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शाये प्रस्तावित रास्ते की भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती हैं। जो सबसे नजदीकी एवं सुलभतम रास्ता हैं। जिसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हैं।

अतः तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता हैं कि रास्ते के काम आई भूमि की मालियत की गणना अनुसार राशि 3514+4538/–रूपये का चैक/डी.डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर तरमीम राजस्व नक्शे में करें । इस आश्य की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अभिन्न अंग समझा जावें । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

दूदाराम हुड्डा RAS
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 08.08.24 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

दूदाराम हुड्डा RAS
उपखण्ड अधिकारी (SDO)
पीपाड़ शहर

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर